email : globalharyananews24@gmail.com
info@globalharyana.com
Website : www.globalharyana.com
आप तक पहुंचने का एक माध्यम...
ग्लोबल हरियाणा

Online New Portal
Global Haryana
A Source to reach you
REGN NO: HARBIL/2016/72131
फरीदाबाद, दिल्ली एनसीआर, हरियाणा
एवं देश-विदेश का सबसे तेज न्यूज पोर्टल
Contact for Advertisment 9711992220

FARIDABAD NCR / HARYANA

0

FOLLOW:

भारतीय मानक ब्यूरो का बोतल बन्द पेयजल पर नकली आई एस आई मुहर लगाकर बेचने वाली फर्म मै0 तुलसी आइस फैक्टरी पर छापा

BY GLOBAL HARYANA ADMIN · PUBLISHED AUGUST 24, 2017 · UPDATED AUGUST 24, 2017

8

भारतीय मानक ब्यूरो के फरीदाबाद शाखा कार्यालय के अधिकारियों ने सूचना मिलने पर भारतीय मानक ब्यूरो, फरीदाबाद शाखा के प्रमुख श्री एस0 के0 वर्मा के आदेशानुसार सिटी पुलिस स्टेशन, **फरीदाबाद,** हरियाणा पुलिस के सहयोग से आई० एस0 आई0 मुहर के दुरूपयोग के खिलाफ दिनांक 23 अगस्त 2017, बुधवार को बोतल बन्द पेयजल बनाने वाली फर्म **मै0 तुलसी आइस फैक्टरी, आर्य नगर, बल्लबगढ़,**

Press clipping-2.jpg

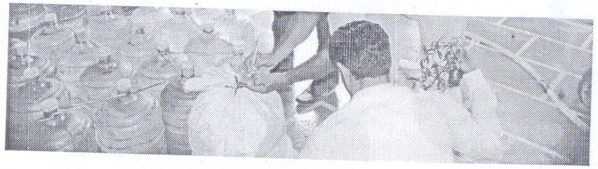

फरीदाबाद के परिसर पर छापा मारा । फर्म 20 लीटर पैट जार पर आई एस आई मार्क का दुरूपयोग करती पाई गई । फर्म के मालिक का नाम श्री सुरेश है । भारतीय मानक ब्यूरो की टीम का नेतृत्व श्री ए0 के0 पोपली, वैज्ञानिक सी ने किया । टीम के अन्य सदस्य श्री अमरजीत सिंह, वैज्ञानिक सी और श्री तपन कुमार हलदार, वैज्ञानिक बी और सिटी पुलिस स्टेशन, जिला फरीदाबाद हरियाणा पुलिस के अधिकारी शामिल थे । छापा मारने के समय कई संख्या में 20 लीटर पैट जार आई एस आई मुहर और लाइसेंस सं0 9991922 लगे लेबल ब्राण्ड "हैवन फ्रैश" पाए गए । यह फर्म बोतल बन्द पेयजल को तैयार कर आई एस आई मुहर लगाकर दुरूपयोग कर रही थी जो कि भारतीय मानक ब्यूरो के लाइसेंस के बिना अवैध है । बन्द पेयजल भारतीय मानक 14543:2016 एफ.एस.एस.ए.आई अधिनियम, 2011 के अन्तर्गत आई0 एस0 आई0 का मुहरांकन अनिवार्य है । इस फर्म व इसके मालिक के विरूद्ध भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 1986 के अन्तर्गत कार्यवाही की जा रही है । इस तरह के अपराध की सज़ा बी आई एस अधिनियम, 1986 के अन्तर्गत अधिकतम एक वर्ष तक का कारावास अथवा अधिकतम 50,000/- रूपये जुर्माना या दोनों है। छापा टीम ने फर्म द्वारा भरीं गई आई0 एस0 आई0 मुहर लगी 20 लीटर पैट जार और भारी मात्रा में पाये गये आई0 एस0 आई0 मार्क और ब्राण्ड "हैवन फ्रैश" प्रिंट किये गये स्टीकर, लेबल रोल को अपने कब्जे में ले लिया । भारतीय मानक ब्यूरो के प्रवक्ता ने यह भी बताया कि इस तरह से बिना लाइसेंस के आई0 एस0 आई0 मार्क लगा कर जो भी कोई उत्पाद बना या बेच रहा है, उस पर भी जल्दी ही उचित कार्यवाही की जाएगी । भारतीय मानक ब्यूरो के प्रवक्ता ने यह भी सूचित किया कि निर्माताओं द्वारा विभिन्न उत्पादों पर आई एस आई मुहर का गलत उपयोग करने, बेचने और उत्पादों के इकटठा करने वालों पर छापा मारा जाएगा और फरीदाबाद शाखा के अन्तर्गत छापे मारने की योजना है । अधिकारी ने आम जनता से आई एस आई मुहर के किसी भी दुरूपयोग की सूचना (जो उनके नोटिस में आती है) निम्नलिखित पते पर देने की अपील की

Share on:

WhatsApp

8

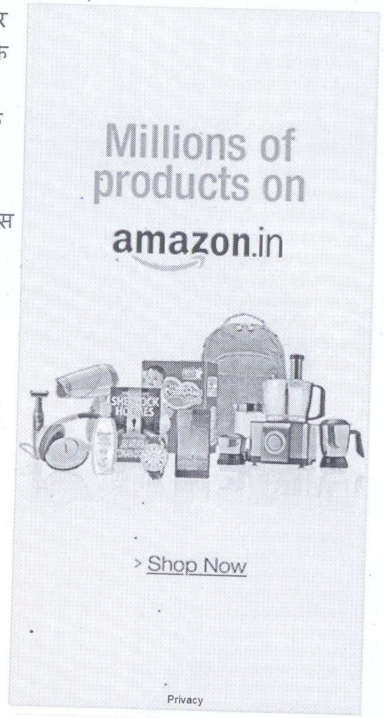

Privacy

NEXT STORY
क्राईम ब्रांच सैक्टर 65 ने झपटमारी का एक आरोपी धरा।

YOU MAY ALSO LIKE...

भारतीय रैडक्रास सोसायटी देश में 700 से

पुलिस आयुक्त ने इंजीनियर के साथ हुये थई

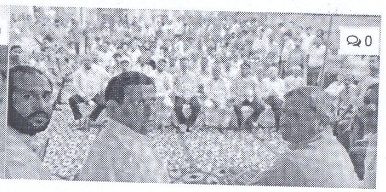

तिगांव विधानसभा क्षेत्र के सभाष नगर में

PREVIOUS STORY
समीर पाल सरो ने हनीफ कुरैशी के साथ मिल कर अपने कार्यालय के सभागार कक्ष मे एक बैठक ली।

SHARES

ADS